

## प्रेस नोट

दिनांक:-12.11.2021

### थाना सिगरा, कमिश्नरेट वाराणसी में कुल 05 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत

श्रीमान् पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट वाराणसी के अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में दिनांक 12.11.21 को थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी में कुल 05 अपराधियों के विरुद्ध मु0अ0सं0 0530/2021 धारा 3(1) उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलॉप निवारण अधिनियम 1986 के अंतर्गत कार्यवाही की गयी । विवरण निम्नवत है:-

- 1- राजू कुमार गुप्ता पुत्र राम उजागिर गुप्ता नि हाल पता किराये का मकान डी ,देवकली थाना सिकन्दरपुर जिला बलिया 0 462/ डीएस अमला नगर लहरतारा 65मण्डुवाडीह वाराणसी उम्र करीब 40 वर्ष
- 2- अंशु गुप्ता उर्फ लालू गुप्ता पुत्र राम उजागिर गुप्ता निदे 0वकली थाना सिकन्दरपुर जिला बलियाहाल पता किराये का , 462 मकान डी/डीएस अमला नगर लहरतारा मण्डुवाडीह वाराणसी 65 उम्र करीब ,वर्ष 30
- 3- संजीव पाठक उर्फ सुधीर शर्मा पुत्र स्व3 के 0कैलाश नाथ पाठक नि 0/हाल ,गायघाट थाना कोतवाली वाराणसी 11 पता किराये का मकान श्रीनगर कालोनी म58 बी 0न0/थाना लक्सा कमिश्नरेट वाराणसी उम्र 27 0प्लाट नं 155 ,वर्ष 51 करीब
- 4- विशाल शर्मा पिता राजेन्द्र शर्मा निकन्दरवा चौराहा नाऊन बस्ती था 0ना उचाहार जनपद रायबरेलीहाल पता , किराये कामकान म33 सी 0नं0/-ए1362 चंदुआ छितुपुर सिगरा वाराणसी उम्र करीब 24 वर्ष ,
- 5- श्रीमती जसवीर कौर पत्नी दविन्दर सिंह नि59 डी 0/एटी महमूगंज थाना सिगरा वाराणसी उम्र करीब 72 42 वर्ष

#### अभियुक्तों का अपराधिक इतिहास:-

क्र.सं.	मु0अ0सं0	धारा	थाना
1.	0011/2021	406/417/420/504/506/467/468//471/473/बी120 भादवि	थाना सिगरा
2.	0415/2021	406/419/420/504/506/467/468//471/473/बी120 भादवि	थाना सिगरा
3.	0416/2021	406/417/420/504/506/467/468//471/473/बी120 भादवि	थाना सिगरा
4.	0417/2021	406/417/420/504/506/467/468//471/473/बी120 भादवि	थाना सिगरा

गैंग लीडर राजू कुमार गुप्ता का एक सुसंगठित आपराधिक गिरोह है, जो अपने गिरोह का स्वयं सरगना है , जो अपने तथा गिरोह के सदस्यों के आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ के लिये धोखाधड़ी, छल कपट बेईमानी एवं कूटरचित अभिलेख तैयार कर उनका असली के रूप में, प्रयोग कर स्वयं व गिरोह को अनुचित लाभ लेने के उद्देश्य से विभिन्न साड़ी व्यवसायियों को साड़ी का सैम्पल दिखाने के नाम पर विभिन्न नामों से साड़ी की गद्दी खोलकर साड़ियों को जमा करके यह आश्वासन देकर कि व्यवसायी द्वारा पसंद कर लिये जाने पर पैसों का भुगतान किया जायेगा और विश्वास के तौर पर व्यवसायियों/पिड़ितों को विभिन्न गदियों की मुहर मार कर प्राप्त की रसीद एवं विभिन्न बैंको के चेक कूटरचित व फर्जी हस्ताक्षरित करके दिये जाते रहे हैं और व्यवसायियों द्वारा जब पैसे कि मांग अथवा दिया हुआ साड़ी वापस करने की मांग की जाती रही तो उन्हें झुठा आश्वासन देते रहे और अपनी - अपनी गद्दी बंद करके गायब हो जाते रहे । उपरोक्त गैंग के लीडर व सदस्यों के द्वारा समाज विरोधी क्रिया कलॉपो में संलिप्त रहकर अपराध कारित करके आर्थिक लाभ लिया जाता रहा है ।

प्रभारी थाना  
थाना सिगरा, कमिश्नरेट वाराणसी।